(34)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/0304 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 256/अपील/2016-17.

---

1. श्रीमती हुरमतबाई पति स्व. एहमद नूर
   निवासी ग्राम सांतेर, तह. देपालपुर, जिला इंदौर
2. लियाकत पिता स्व. एहमद नूर
   निवासी ग्राम सांतेर, तह. देपालपुर, जिला इंदौर
3. श्रीमती जुलेसा पति श्री मुंशी (पिता स्व. एहमद नूर)
   निवासी ग्राम चांदनखेड़ी, तह. देपालपुर, जिला इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
   कलेक्टर, जिला इंदौर
   कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, इंदौर
2. कलेक्टर, जिला इंदौर
   कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, इंदौर .....अनावेदकगण

श्री मनोज व्यास, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री हेमंत मूंगी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 17.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला इंदौर के प्रकरण क्रमांक 55/अ-74/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2017 के विरूद्ध संहिता की

धारा 44 के अंतर्गत अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्र. 256/अपील/2016-17 दर्ज कर आदेश दिनांक 17.10.2017 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2017 आवेदकगण को बिना सूचना के पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील, अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की अपील निरस्त की गई है, जो कि सर्वथा अनुचित और अवैध है।

(2) कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के पूर्व प्रकरण में आवेदकगण जिनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उनको सुनवाई का मौका दिये बिना दिनांक 04.01.2017 को आदेश पारित किया गया, जो नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत होने के पश्चात् भी इस बात को अनदेखा कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित कर गंभीर त्रुटि की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 1925-26 से लेकर 1915-15 तक के राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि होने के उपरांत भी उन्हें अनदेखा कर आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।

(4) अनावेदकगण शासन की ओर से सदर प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन की आपत्ति लेकर यह बताया कि सदर प्रकरण में शोकत को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदकगण की ओर से इस संबंध में यह निवेदन किया गया कि अनावेदकगण शोकत के विरूद्ध आदेश पारित होने से वह इस संबंध में पृथक से कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। आवेदकगण का शोकत से किसी भी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है। इसलिए उसने शोकत को प्रकरण में पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं समझा है। अनावेदकगण को इस प्रकरण में सुनवाई का कतई मौका नहीं दिया गया है।

(5) आलोच्य आदेशों में अधीनस्थ न्यायालयों ने वर्ष 1957-58 में वादोक्त भूमि चरनोई दर्शाई होने का कारण लिखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वर्ष 1957-58 के राजस्व अभिलेख में यह भी नहीं देखा कि तदसमय राजस्व अभिलेख में आवेदकगण के पूर्वजों का नाम दर्ज है, मात्र चरनोई दर्शित होने से वादोक्त भूमि शासकीय भूमि नहीं हो जाती है, इस आधार पर आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) सदर प्रकरण में वादोक्त सर्वे नम्बर 119 की भूमि में रास्ते की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का उल्लेख किया गया है, जबकि राजस्व अधिकारी द्वारा यह कहीं नहीं दर्शाया है कि कितनी लम्बाई तथा कितनी चौड़ाई की भूमि से रास्ता निकलना है। आलोच्य आदेश द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर से आवेदकगण का नाम हटा दिया गया, जो उपरोक्त स्थिति के आलोक में निरस्त किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण भूमि पर रास्ता बनाना हो, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं बताया गया है, ना ही इस संबंध में आवेदकगण को कोई सूचना पत्र प्रेषित किया गया है।

(7) वर्ष 1939-40 से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के पूर्वजों का नाम दर्ज रहा है और प्रश्नाधीन भूमि कभी भी शासकीय दर्ज नहीं रही है। उक्त खसरा तहसीलदार द्वारा ही प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया है। इस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार नहीं करने से अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है।

(8) वर्ष 1955 लगायत 1958 के खसरा पांचसाला में भी आवेदकगण के पूर्वज अहमद नूर का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज रहा है। इस पर भी कलेक्टर द्वारा विचार नहीं किया गया है।

(9) तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन के संलग्न प्रस्तुत आसामी बार खतौनी वर्ष 1939-40 में सर्वे नंबर 199 स्पष्टत: शासकीय दर्शायी है, परंतु उसे सर्वे नंबर 119 मानने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है, उनका यह उल्लेख भी उचित नहीं है कि तत्समय त्रुटिवश 199 अंकित कर दिया गया।

(10) म.प्र. भू-राजस्व संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त कर आदेश दिनांक 04.01.2017 के पूर्व राजस्व अभिलेख जिस स्थिति में कायम था, उसे बहाल कर आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा उचित एवं वैधानिक आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम सांतेर तहसील देपालपुर की भूमि सर्वे नंबर 119 मिसलबंदोबस्त में शासकीय चरनोई मद में दर्ज है। आवेदक को यह स्पष्ट करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है कि वह स्पष्ट करे कि उक्त भूमि उनके नाम पर किस आधार पर दर्ज की गई, उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट हो कि जो भूमि शासकीय चरनोई मद में दर्ज हो, वह अनावेदक के नाम पर किस आधार पर दर्ज की गई है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि शासन द्वारा आवंटित की गई हो अथवा पट्टे पर प्रदान की गई हो, ऐसा भी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां तक सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है, उसमें भी प्रश्नाधीन भूमि का स्वत्व शौकत पिता स्व. एहमदनूर का नहीं माना है। अत: कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर से शौकत का नाम राजस्व अभिलेख से कम कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

अत: उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर